संख्याः-9/2019/49/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2019**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामान्य पक्ष में अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटिड जनरेशन (डी0डी0जी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण परियोजना हेतु आर0ई0सी0, भारत सरकार द्वारा परियोजना धनराशि का राज्य सरकार को ऋण के रूप में स्वीकृत 10 प्रतिशत धनराशि का ब्याज भुगतान करने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4546/यूपीनेडा-डीडीजी(8)/आरईसी-ब्याज/2016-17, दिनांक 10 दिसम्बर 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0ई0सी0) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु डी0डी0जी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 जनपदों (ललितपुर, हमीरपुर, लखीमपुर, बहराईच एवं सोनभद्र) के 25 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है। उक्त परियोजना हेतु 90 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा कैपिटल अनुदान एवं शेष 10 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु राज्य सरकार, आर0ई0सी0 एवं यूपीनेडा के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त अनुबंध के अनुरूप राज्य सरकार को स्वीकृत ऋण के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि का त्रैमासिक ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना वांछनीय है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में धनराशि रू0 18.66 लाख की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि में से शासनादेश संख्या-762/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 01 मई 2018 द्वारा रू0 9.33 लाख (रू0 नौ लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 1.46 लाख को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त हेतु धनराशि रू0 6,49,144/- (रू0 छः लाख उनचास हजार एक सौ चवालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के आधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य सरकार, आर0ई0सी0 एवं यूपीनेडा के मध्य हुए त्रिपक्षीय अनुबंध में उल्लिखित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31.03.2019 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-60-अन्य-800-अन्य व्यय-08-डिसेन्टलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटिड जनरेशन (डी0डी0जी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-78/दस-2019, दिनांक 14/03/2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(4) राज्य योजना आयोग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in